दैनिक भास्कर

पटना 18-10-2024

पाटलीग्राम बिल्डर्स के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने का निर्देश

रेरा बिहार की खंडपीठ ने दिया आदेश

पटना| रेरा बिहार की खंडपीठ ने पाटलीग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों प्रभात कुमार रंजन और प्रिया कुमारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने का आदेश दिया है, ताकि अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर को उन्हें पेश किया जा सके। यह निर्देश रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और सदस्य एसडी झा की खंडपीठ ने एक वाद की सुनवाई के दौरान दिया। यह वाद रेणु देवी और वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर किया गया था क्योंकि प्रमोटर द्वारा परियोजना पूरी न करने के कारण उन्होंने भुगतान किए गए 16 लाख रुपए को सूद सहित वापस मांगा था। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश डबल बेंच ने 14 अगस्त, 2024 को प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2023 में जारी उस आदेश का पालन न करने के लिए दिया था। इस तिथि पर प्रमोटर की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। प्राधिकरण ने अपने 2023 के आदेश में शिकायतकर्ताओं को ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश प्रमोटर को दिया था। प्रमोटर ने तय समय पर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया और उसने यह तथ्य भी छिपा लिया था। इसमें यह भी सामने आया कि जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया जाना था, वह विवादित थी। रेरा की खंडपीठ ने इससे पहले 14 अगस्त 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए प्रमोटर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था, क्योंकि 14 फरवरी 2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया। साथ ही गैर-अनुपालन का कारण बताने के लिए प्रमोटर की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2024 को प्रमोटर के वकील मामले में पेश हुए और पैसे वापसी के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। बेंच ने समय दिया और 7 अक्टूबर, 2024 की तारीख तय की गई। इसके बाद प्रमोटर के वकील ने सूचित किया था कि चिकित्सकिय कारणों के चलते अनुपालन नहीं किया गया और एक सप्ताह का समय मांगा। फिर से समय दिया गया लेकिन अनुपालन नहीं हुआ। अब गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने के लिए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक रिमाइंडर जारी करने का निर्देश दिया।